समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या **38** सन् **2022**

इन

ओ.ए. संख्या **165** सन **2021**

गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

इंडेक्स

क्र. संख्या	विवरण / ब्यौरे	पृष्ठ
01.	आपत्ति पत्र	
02.	प्रार्थना	
03.	**राहुल राजपूत** द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर दिनांक 12.01.2023	
04.	नगर पार्क व लक्ष्मी तालाब की सैटेलाइट इमेज (गूगल अर्थ) मई 2006	
05.	महायोजना–2021 में प्रस्तावित (ग्रीन) नगर पार्क का नक्शा	
06.	लक्ष्मी तालाब की टोपोशीट इमेज (भारतीय सर्वेक्षण विभाग) वर्ष 2011	
07.	माननीय विधायक जी और राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज की एक साथ फोटो	
08.	माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उक्त वीडियो आपत्ति के साथ ई–मेल के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।	

दिनांक 22.03.2023

आवेदनकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा)

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या **38** **सन् 2022**

इन

ओ.ए. संख्या **165** **सन 2021**

गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

श्रीमानजी,

निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में सह याचिकाकर्ता श्री गिरजा शंकर राय व श्री बी.एल. भास्कर और श्री प्रदीप कुमार नामदेव द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2023 पर निम्नलिखित आपत्ति हैः–

1. यह कि माननीय झांसी नगर विधायक श्री रवि शर्मा जी और झांसी प्रशासन के अधिकारियों ने राहुल राजपूत के जरिए सह याचिकाकर्ता श्री गिरजा शंकर राय व श्री बी.एल. भास्कर और श्री प्रदीप कुमार नामदेव के ऊपर दिनांक 12.01.2023 को एफआईआर दर्ज करवाकर, धमकाकर दबाव बनाकर सह याचिकाकर्ताओं से प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2023 माननीय न्यायाधिकरण में दिलाया गया है।

2. यह कि सह याचिकाकर्ता श्री गिरजा शंकर राय व श्री बी.एल. भास्कर और श्री प्रदीप कुमार नामदेव के विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाला **राहुल राजपूत** पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मेंदान, पार्को और तालाब आदि की भूमियों के **कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे–भरे पेड़ काटकर** अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू–माफियाओं को संरक्षण देने और इन अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से बिजली–पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने वाले माननीय माननीय झांसी सदर विधायक जी के लिए अवैध निर्माण एवं अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू–माफियाओं से सांठगांठ कराने और रुपयों के लेन देन का कार्य करता हैं, तथा **माननीय झांसी सदर विधायक जी के कहने पर ही राहुल राजपूत द्वारा अराजकता तत्वों के साथ मिलकर** हम याचिकाकर्ताओं को धमकाया जा रहा, जानलेवा हमला कराए जा रहे और झूठे मुकदमे दर्ज कराकर प्रताड़ित किया जा रहा है ने दिनांक 12.01.2023 को सह याचिकाकर्ता श्री गिरजा शंकर राय व श्री बी.एल. भास्कर और श्री प्रदीप कुमार नामदेव आदि के विरुद्ध झूठी एफआईआर कराई गई है।

3. यह कि उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के बाद से ही नगर पार्क की भूमि पर अतिक्रमण एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित कराने और इन अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से बिजली–पानी, सड़क आदि के विकास कार्य कराने वाले माननीय झांसी नगर विधायक जी और झांसी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा **राहुल राजपूत** आदि के माध्यम से हम याचिकाकर्ताओं को धमकियां दिलवाकर, जानलेवा हमला करवाकर और झूठे मुकदमे दर्ज कराकर प्रताड़ित किया जा रहा था जिसकी हम याचिकाकर्ताओं ने पुलिस और शासन–प्रशासन में सुरक्षा की मांग करते हुए शिकायतें की गई थी, उक्त शिकायतों पर पुलिस और शासन–प्रशासन द्वारा न तो कोई कार्यवाही की गई और न ही सुरक्षा दी गई।

4. यह कि दिनांक 29.12.2022 को माननीय विधायक जी के दबाव में साजिश के तहत जब नगर निगम के अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर लक्ष्मी तालाब के पास स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर और मस्जिद को हटाने की अवैध कार्यवाही करने पहुंचे तो माननीय विधायक जी के कहने पर राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज ने साजिश के तहत मीडिया (Teesri Ankh तीसरी आँख) में झूठा बयान

दिया कि मंदिर और मस्जिद को हटाने की कार्यवाही मुझ प्रार्थी द्वारा कराई जा रही है ऐसे ही और कई गंभीर आरोप लगाए तथा **राहुल राजपूत ने ये भी स्वीकर किया कि विधायक जी के निर्देशानुसार हम लोग एनजीटी गए जब भी पूरे पिछोर में किसी को भी नोटिस इशू किया गया है किसी को भी ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है माननीय विधायक जी ने ही जेडीए के अधिकारियों से बात करके उन्हे रोका है। माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उक्त वीडियो आपत्ति के साथ ई–मेल के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।**

वीडियो लिंक https://fb.watch/j1jgDO41g1/?mibextid=NnVzG8

Teesri Ankh तीसरी आँख · सब्सक्राइब करें ·
29 दिस॰ 2022 ·

आखिर झाँसी मे मंदिर और दरगाह को तोड़ने को लेकर बबाल क्यों हुआ !... और देखें

5. यह कि उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के अनुपालन में जिलाधिकारी झांसी द्वारा प्रेषित असत्य, भ्रामक और मनगढ़ंत स्थलीय आख्या दिनांक 22.11.2021 जो अतिक्रमण एवं प्लॉटिंग कर अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के पक्ष में तैयार की गई थी, जिस पर हम याचिकाकर्ताओं ने समाजसेवियों के साथ मिलकर आपत्ति तैयार की और उक्त आपत्ति दिनांक 17.12.2021 माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रेषित कर दी गई जिससे माननीय झांसी नगर विधायक रवि शर्मा जी और झांसी प्रशासन के अधिकारी हम याचिकाकर्ताओं से गहरी रंजिश मानने लगे और उपरोक्त प्रकरण में हम याचिकाकर्ताओं को आगे पैरवी एवं कार्यवाही करने से रोकने के लिए परिवार सहित हम याचिकाकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां, जानलेवा हमला और झूठे मुकदमे दर्ज कराकर प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसकी शिकायतें करने पर भी कार्यवाही न होने पर सह याचिकाकर्ता श्री गिरजा शंकर राय व श्री बी.एल. भास्कर और श्री प्रदीप कुमार नामदेव ने उपरोक्त प्रकरण में आगे कोई भी कार्यवाही, पैरवी करने इनकार कर दिया।

6. यह कि उपरोक्त प्रकरण में अब सिर्फ मैं ही अकेला पैरवी कर रहा था जिससे माननीय झांसी नगर विधायक रवि शर्मा जी और झांसी प्रशासन के अधिकारी सिर्फ मुझको परिवार सहित जान से मारने

की धमकियां, जानलेवा हमला और झूठे मुकदमे दर्ज कराकर प्रताड़ित कर रहे थे, जिसमें मुझे और मेरे परिवार को अपनी करोड़ों रुपयों की जमीन जायदाद और घर गृहस्ती का सामान सहित घर बार छोड़कर तथा जान बचाकर भागना पड़ा जिससे पूरा परिवार मानसिक पीड़ा के कष्ट गुजर रहा है।

7. यह कि जिलाधिकारी झांसी की स्थलीय आख्या दिनांक 22.10.2021 में **कुल 67 अवैध निर्माणों** का और मण्डलायुक्त झांसी की अन्तिम आख्या दिनांक 12.09.2022 में **कुल 1000 अवैध निर्माणों** का उल्लेख किया है। प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, झांसी विकास प्राधिकरण की अनुपालन आख्या दिनांक 13.02.2023 के पैरा संख्या 5 में उल्लेख किया है कि झांसी महायोजना–2021 में राजस्व ग्राम–पिछोर, डड़ियापुरा व तालपुरा झांसी में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माणों के सर्वे का कार्य टीम गठित कर पूर्ण कर लिया गया है, सर्वे के **अनुसार 2275 अनाधिकृत निर्माण** पाये गये है। उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण की अनुपालन आख्या दिनांक 01.03.2023 के पैरा संख्या 5 में उल्लेख किया है कि नगर पार्क हेतु प्रस्तावित राजस्व ग्राम–पिछोर, डड़ियापुरा एवं तालपुरा की **भूमि के सर्वेक्षण में कुल 2390 भवन** पाये गये। जिसमें से अधिकारियों द्वारा आज तक एक भी अवैध निर्माण को हटाया नहीं जा रहा है तथा माननीय विधायक जी और झांसी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर इन अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से बिजली–पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराए जा रहे है।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारियों द्वारा जानबूझकर अवैध निर्माणों को बचाने के उद्देश्य से माननीय अधिकरण के आदेशों की अवज्ञा करते हुए बार बार असत्य, भ्रामक और मनगढ़ंत आख्या प्रेषित की जा रही है एवं जानबूझकर अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही नहीं की जा रहीं है।

जब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47, 48 तथा 51 (क) (छ) के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण तथा नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा सुधार करें और जनता के लिये प्रदूषण रहित जल, वायु तथा पर्यावरण सुलभ कराएँ। लेकिन माननीय विधायक जी और झांसी प्रशासन, झांसी विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के अधिकारी अपने पदीय कर्तव्यों के विमुख एवं संविधान के इन अनुच्छेद के विपरीत कार्य कर तथा नागरिकों के प्रदूषण रहित स्वच्छ वायु पाने के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे है तथा जो व्यक्ति (हम याचिकाकर्ता) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ वातावरण में जीवन जीने और अनुच्छेद 47, 48 तथा 51 के तहत पर्यावरण को बचाने एवं रक्षा करने के लिए आवाज उठाने कार्य कर रहा है उसकी आवाज दबाने का कार्य कर रहे है। तथा नगर पार्क के अवैध निर्माण यह भी स्पष्ट दर्शा रहे है कि अधिकारी जानबूझकर अवैध निर्माणकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अपने कर्तव्यों के विमुख जाकर कार्य करते हुए माननीय अधिकरण के साथ–साथ माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की घोर अवज्ञा एवं संविधान का घोर उल्लंघन कर रहे है।

8. यह कि उक्त नगर पार्क पर्यावरण संतुलन बनाए रखने एवं नागरिकों के स्वस्थ जीवन तथा मानसिक विकास के लिए स्वच्छ वातावरण/वायु उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित किया गया है जिस पर माननीय विधायक जी और झांसी प्रशासन, झांसी विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के अधिकारी मिलकर अवैध कॉलोनियां विकसित कराने का कार्य कर रहे है।

9. यह कि मई 2006 की गूगल सैटेलाइट इमेज में (रेड लाइन के अन्दर) स्पष्ट दिख रहा है कि उक्त नगर पार्क की 97 प्रतिशत भूमि रिक्त है। जिस पर अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण किये जा रहे है और अधिकारी इन अवैध निर्माणों को बचाने की साजिशें कर रहे है। जिसकी रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर–यू.पी. एवं सर्वे ऑफ इंडिया से वर्ष 2005 से 2023 तक की सैटेलाइट इमेज के माध्यम से जांच कराई जाना अति आवश्यक है।

10. यह कि मई 2006 की गूगल सैटेलाइट इमेज (रेड लाइन के अन्दर) एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वर्ष 2011 की टोपोशीट में स्पष्ट दिख रहा है कि लक्ष्मी तालाब की भूमि रिक्त और मूल स्वरूप में

पानी से भरा हुआ है, वर्तमान में जिसका जलभराव 40 प्रतिशत रह गया है। जिसकी रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर–यू.पी. एवं सर्वे ऑफ इंडिया से जांच कराई जाना अति आवश्यक है।

11. यह कि उक्त नगर पार्क की भूमि पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण, अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू–माफियाओं एवं उक्त कार्य कराने में लिप्त कर्मचारियों/अधिकारियों में से आज तक एक के भी विरुद्ध शासन–प्रशासन द्वारा एफ.आई.आर दर्ज नहीं की गई है।

12. यह कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 12.07.2021 व दिनांक 25.01.2022 व दिनांक 14.09.2022 व दिनांक 10.10.2022 और दिनांक 14.12.2022 को आदेश पारित किये गये है इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा जानबूझकर आज तक एक भी अवैध निर्माण हटाया नहीं गया है और नाही माननीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 14.12.2022 में निर्धारित समयावधि के अनुपालन में आख्या प्रेषित की जा रही है जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 25 एवं 26 का घोर उल्लंघन है। अपने पदीय कर्तव्यों विमुख कार्य करने एवं माननीय न्यायाधिकरण के आदेशों की अवज्ञा करने वाले इन अधिकारियों को दंडित किया जाना अति आवश्यक है।

13. यह कि नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब के अनधिकृत निर्माणों, अतिक्रमणों और अवैध कब्जों तथा इनका संरक्षण देने और कराने वाले अधिकारियों की संलिप्तता की सच्चाई सामने लाने के लिए के नगर पार्क की भूमि के समस्त आराजी संख्याओं के बैनामो, अवैध निर्मित भवनों के विद्युत और पानी कनेक्शनों एवं अधिकारियों की सांठगाठ से सरकारी खर्चे पर कराएं जा रहे बिजली, पानी, सड़क आदि के विकास कार्यों एवं गैर कानूनी रूप से प्रधानमंत्री आवास बनाएं जाने की जांच कराई जाना तथा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर–यू.पी. एवं सर्वे ऑफ इंडिया से प्रश्नगत भूमियों की वर्ष 2005 से वर्तमान तक की सैटेलाइट इमेजेस मंगवाकर जांच कराई जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी, से निवेदन है कि नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब के अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों को हटाये जाने तथा नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि **(कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे–भरे पेड़ काटकर)** को आवासीय प्लाट के रूप में बेचने/खरीदने व अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां विकसित कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों और भू–माफियाओं तथा इन्हें संरक्षण देने एवं नियम कानून और आदेशों की अवज्ञा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धान्त (Pollulor Pays Principle) एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक 22.03.2023

याचिकाकर्ता/आपत्तिकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा)

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या **38**		**सन् 2022**
	इन	
ओ.ए. संख्या **165**		**सन 2021**
गिरजा शंकर राय व अन्य	बनाम	उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

प्रार्थना

श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों/साक्ष्यों का संज्ञान लेकर निम्नलिखित कार्यवाही करने की कृपा करें:–

1. सह याचिकाकर्ता श्री गिरजा शंकर राय व श्री बी.एल. भास्कर और श्री प्रदीप कुमार नामदेव द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2023 पर्यावरण एवं न्यायहित में जो माननीय न्यायाधिकरण सही तथा उचित समझे कार्यवाही करने की कृपा करें।

2. माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 व दिनांक 25.01.2022 व दिनांक 14.09.2022 व दिनांक 10.10.2022 और दिनांक 14.12.2022 की जानबूझकर अवज्ञा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दंडित/कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 में निर्धारित समयावधि के अनुपालन में आख्या प्रेषित नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दंडित/कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां विकसित कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों/भू–माफियाओं और इनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों की संलिप्तता की सच्चाई सामने लाने के लिए के निम्नलिखित कार्यवाही करने की कृपा करें:–

    अ. नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि की वर्ष 2005 से वर्तमान तक की सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर–यू.पी. एवं सर्वे ऑफ इंडिया से मंगवाकर जांच कराने की कृपा करें।

    ब. नगर पार्क की भूमि के समस्त आराजी संख्याओं के बैनामो, अवैध निर्मित भवनों के विद्युत और पानी कनेक्शनों की रिपोर्ट मंगाने की कृपा करें।

    स. नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में सरकारी खर्चे पर कराएं जा रहे बिजली, पानी, सड़क आदि के विकास कार्यों की रिपोर्ट मंगाने की कृपा करें।

    द. नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि के अतिक्रमण, अवैध निर्माण और अवैध कब्जा करने/कराने वाले व्यक्तियों और भू–माफियाओं और इनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों कराने की कृपा करें।

5. पर्यावरण एवं न्यायहित में अन्य कोई कार्यवाही जो माननीय न्यायाधिकरण सही तथा उचित समझे कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक 22.03.2023

याचिकाकर्ता/आपत्तिकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** झांसी **P.S. (थाना):** नवाबाद **Year (वर्ष):** 2023

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0018 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 12/01/2023 16:19 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	147
2	भा दं सं 1860	387

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

   Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/01/2023 **Time (समय):** 16:19 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 039 **Date and Time (दिनांक और समय):** 12/01/2023 16:19 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व, 06 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): मु0 पिछोर गुमनावारा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री राहुल राजपूत

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री विजय सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	पिछोर गुमनावारा, नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	पिछोर गुमनावारा, नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-7007923299

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	गिरजा शंकर राय			1. भट्टागाँव,सदर बाजार,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
2	नरेन्द्र कुशवाहा			1. पिछोर,नवाबाद,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
3	मुन्नालाल कुशवाहा			1. पिछोर,नवाबाद,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
4	अरबिन्द कुशवाहा			1. पिछोर,नवाबाद,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
5	वी0एल0 भास्कर			1. सीपरी बाजार,सीपरी बाजार,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
6	प्रदीप नामदेव			1. मोठ,मोठ,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
7	अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात			1. अज्ञात,नवाबाद,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी उप्र । विषय:- रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के सम्बन्ध में। महोदय, हम सभी लोग थाना नवाबाद अन्तर्गत पिछोर डियापुरा के निवासी है महोदय गिरजा शंकर राय निवासी भट्टागांव थाना सदर बाजार नरेन्द्र कुशवाहा निवासी-पिछोर थाना नबाबाद, मुन्ना लाल कुशवाहा निवासी पिछोर थाना नबाबाद, अरविन्द्र कुशवाहा निवासी- पिछोर थाना नबाबाद, बी एल भास्कर निवासी- सीपरी बाजार थाना सीपरी बाजार, प्रदीप नामदेव निवासी मोठ एवं अन्य लोगों ने एक गिरोह बनाकर पूरे गुमनावारा पिछोर इंडियापुरा को अवैध निर्माण बताते हुये सन् 2021 में माननीय एन0जी0टी0 कोर्ट में एक वाद दायर किया था जो गिरजा शंकर राय बनाकर उ0प्र0 सरकार है जिसमें हम मुहल्लेवासी वादी भी नहीं है जिसमें उन्होंने वहां से झूठे तथ्य पेश कर एक पक्षीय आदेश हम सभी मुहल्ले वासियों के खिलाफ कार्यवाही कराने का आदेश प्राप्त कर लिया है उसी आदेश को दिखा दिखाकर यह सभी लोग घर-घर जाकर कहते है कि हमें 50-50 हजार रूपये दो नहीं तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा मैंने तुम लोगों मकान तुडवाने का एनजीटी से आदेश करा लिया है अगर तुम लोग उक्त रकम मुझे दे दोगे तो मैं पैरवी करना बन्द कर दूंगा अन्यथा तुम लोगों के मकान नहीं बचेंगे जिसकी वजह से मुहल्ले में निवासरत 1 श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव की हृदय गति रुकने से मृत्यु भी हो चुकी है एवं मुहल्ले में निवासरत सुदीप दीक्षित, विवेक कुमार रायकवार, वीर सिंह पाल, मिन्टू शिवहरे, रामकुमार झा, विनोद बेशकार उमेश नायक एवं अन्य कई लोगों के घर जाकर 50-50 हजार रुपये की रंगदारी की मांग की है। अतः श्रीमान् जी से विनम्र अनुरोध है कि उक्त व्यक्ति के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक- 12/01/2023 राहुल राजपूत पुत्र श्री विजय सिंह नि0- पिछोर गुमनावारा झांसी थाना नवावाद झांसी। मो0न0-7007923299 नोट- टाइपशुदा प्रा0 पत्र की नकल मुझ का0मु0 938 अवधेश कुमार के द्वारा अक्षरशः की गई है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ROHIT KUMAR **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 182394342 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SUDHAKAR MISHRA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 902730379

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	2003		-		**चेचक:** नहीं
2	पुरुष	2003		-		**चेचक:** नहीं
3	पुरुष	1983		-		**चेचक:** नहीं
4	पुरुष	1993		-		**चेचक:** नहीं
5	पुरुष	1993		-		**चेचक:** नहीं
6	पुरुष	1993		-		**चेचक:** नहीं
7	अज्ञात	2003		-		**चेचक:** नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

Google Earth Pro
Jhansi, Uttar Pradesh, India
5/2006
BANS MANDI बांस मंडी
DADIYAPURA दढ़ियापुर
Laxmi Talab
NAKTA CHOPRA नकटा चोपरा
CUMANWARA गुमंवारा
TALPURA तालपुरा
SHIVAJI NAGAR शिवजी नगर
MASTER COLONY मास्टर कॉलोनी
NALANDA नालंदा
MAHARANA PRATAP NAGAR EXTENSION महाराणा प्रताप नगर एक्सटेंशन
MAHARANA PRATAP NAGAR महाराणा प्रताप नगर
Image © 2023 Maxar Technologies
Final Cut Pro
Google Earth
1985
Imagery Date: 5/24/2006 25°27'33.10" N 78°35'45.76" E elev 256 m eye alt 3.20 km

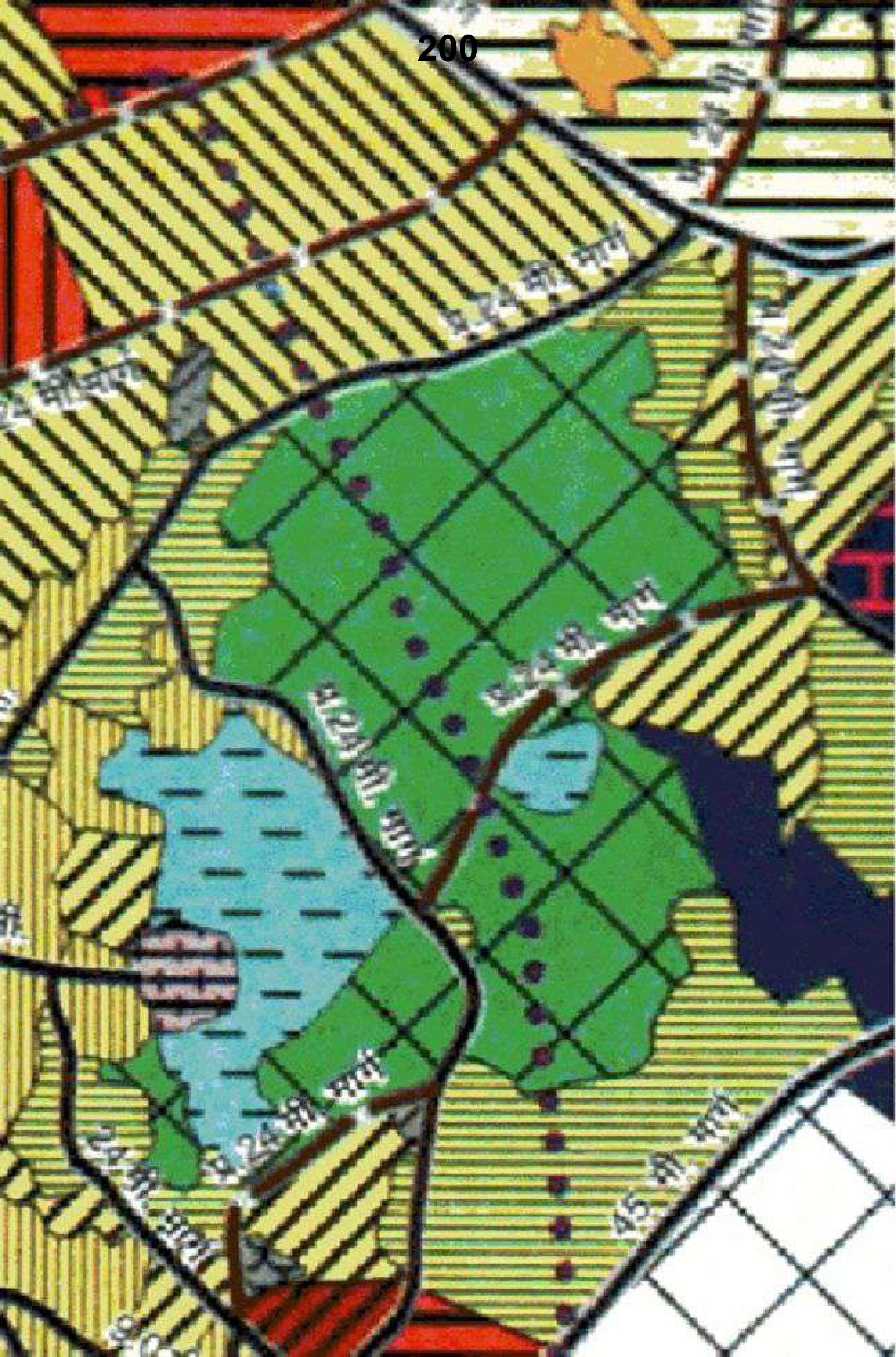

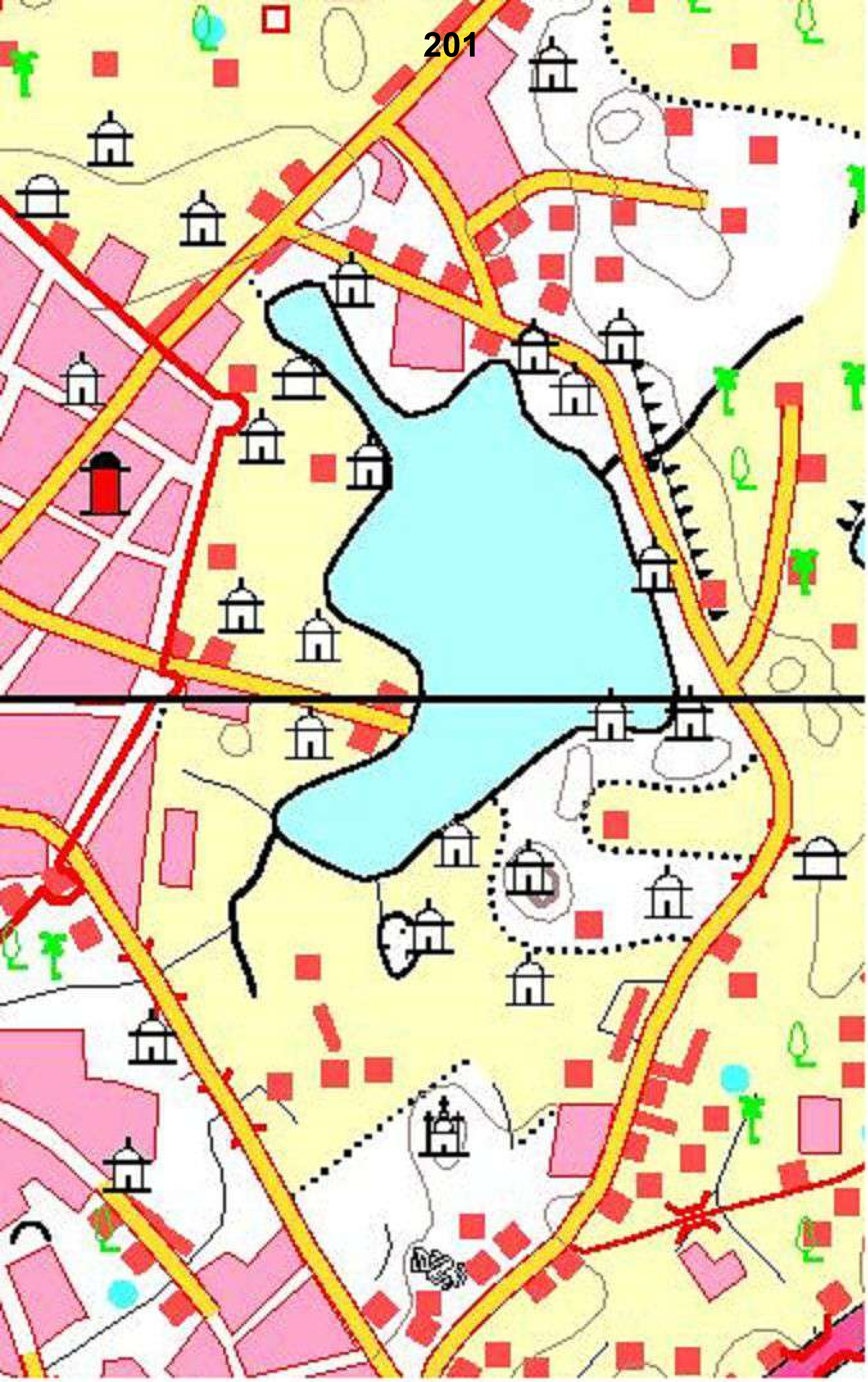

श्री सुदीप महाराज
मुकुल द्विवेदी
डॉ. मुकेश कुमार
क्रिसमस डे एवं नव वर्ष
की हार्दिक
शुभकामनायें
वार्ड का विकास
इं. राहुल राजपूत
(वार्ड नंबर 32 पिछोर)
अमित द्विवेदी
मंडल मंत्री भा.ज.पा
युवा मोर्चा झांसी महानगर

वार्ड नं. -32 पिछोर झाँसी के समस्त सम्मानित वासियों को
नव वर्ष एवं मकर संक्रान्ति
की हार्दिक शुभकामनाएं
इंजी. राहुल राजपूत
मो.-7007923299,9450980681